

ई-मेल / विशेष दूत

पत्र संख्या : 1/सी0-1003./2017-सा0प्र0-2079/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना-15, दिनांक 21 फरवरी, 2016

विषय:-

चयन वर्ष, 2016 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(2) तथा भा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के नियम-4 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-14015/30/2015-ए आई एस-। दिनांक 20.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा0प्र0से0 में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं, जो (1) बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं है, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2016 (प्रथम जनवरी दो हजार सोलह ई0) को 56 वर्ष के नहीं हुए हों तथा (4) अधिष्ठाई हैसियत से राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव रखते हों।

अपर सचिव

813/AS (अनु)
22/2/17

D.S. (अनु)

306 अ/3.11.14.51
23/02/17

प्र0प01.52

mmmp
23/2/17

2. विषयगत नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प, ज्ञापांक-4900, दिनांक 02.04.2012 के आलोक में अपेक्षित होगी। इस हेतु 03(तीन) रिक्तियों के निर्धारण का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित है। भारत सरकार द्वारा रिक्तियों के निर्धारण के उपरान्त ही मामले में किसी भी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई प्रत्याशित होगी।

3. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में से कंडिका-1 में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप योग्यतम 03(तीन) पदाधिकारियों का चयन निम्नलिखित शर्तों, बंधेजों एवं औपचारिकताओं के अनुरूप पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजातों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ भेजने की कृपा की जाय:-

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक, विभागीय प्रधान/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई हो तो) अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण/दक्षता के हों तथा उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो;

श्री 92
पमई/2
27.2.17

332
2/2/17

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा-इतिहास (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की विवरणी-समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग सहित विवरणी, के अलग-अलग पन्ने संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण (तिथिशःपूर्ण) मूल चरित्र-पुस्तियाँ/उन चरित्र पुस्तियों के सभी पृष्ठों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ भी संलग्न की जायें। जिन तिथियों अथवा अवधि की गोपनीय अभ्युक्तियाँ/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि, प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार में से किसी स्तर द्वारा अभिलेखित न हुआ हो या अल्पावधि के कारण अभिलेखित किया जाना आवश्यक न हों अथवा अभ्युक्तियों/प्रतिवेदन अनुपलब्ध हों, तब उनके अभिलेखित न होने/अनुपलब्ध होने के मान्य कारण का प्रमाण-पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी अवश्य संलग्न किये जायें;

(ङ) पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी भेजे जाएँ ताकि संबंधित पदाधिकारियों की पूर्ण सत्यनिष्ठा सत्यापित की जा सके;

(च) पदाधिकारियों की पूर्व पदस्थापन विवरणी(वेतन मान सहित) सम्मिलित किया जाय;

(छ) पदाधिकारियों के मनोनयन उनके पैतृक विभागों द्वारा ही किये जायेंगे;

(ज) पात्रता के लिये निर्धारित भारत सरकार की शर्तों (जिनका उल्लेख उपर्युक्त कंडिका-1 एवं संलग्न संगत नियमावली की कंडिका-4 में है) के पूर्णतः अधीन रहते हुए विषयगत प्रयोजन से गठित की जाने वाली विभागीय समितियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी दृष्टिगत करने का यथासंभव प्रयास भी किया जाय; और

(झ) प्रशासी विभागों की चयन समिति की कार्यवाही की मूलप्रति एवं उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किये जाने वाले मनोनयन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें। समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्रशासी विभाग से प्राप्त अनुशंसायें किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होंगी;

4. कंडिका-3 में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में अनुशंसा के साथ सभी आवश्यक सूचनायें एवं कागजात अनुबद्ध विहित प्रपत्र में संलग्न किए जायें। किसी सूचना/कागजात के अभाव में प्राप्त अनुशंसायें विचारणीय नहीं होंगी।

5. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अगर किसी पदाधिकारी को अनुशंसित किया गया है, तो उनको पुनः अनुशंसित करने में यद्यपि प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत आते हों। परन्तु, नये पदाधिकारियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आलोच्य विचारण-प्रक्रिया में वैसे पदाधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाय, जो संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु दो बार उपस्थित हो चुके हों।


रिश्ता

6. प्रासंगिक चयन प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना होता है । प्रशासी विभागों द्वारा समर्पित की जाने वाली अनुशंसाओं की त्रुटियों के मार्जन में काफी समय व्यय हो जाता है, फलस्वरूप, प्रश्नगत पत्र व्यवहारों में व्यतीत होने वाले समय को न्यून करने की दृष्टि से आलोच्य अनुशंसायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में एकल खिड़की विधि से प्राप्त की जायेंगी। इस प्रक्रिया के तहत वांछित अनुशंसायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की प्रशाखा-01 में संबंधित प्रशासी विभागों की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी, जो प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के हों, द्वारा प्राप्त करायी जायेंगी ताकि प्रासंगिक समर्पण की त्रुटियों का तत्क्षण/शीघ्रातिशीघ्र निराकरण संभव हो सके।


7. अनुरोध है कि विभागीय मनोनयन यथा वर्णित रीति से 30 अप्रैल, 2017 तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध कराने कृपा की जाय ।

अनुलग्नक-

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक- 4900 दिनांक 02.04.2012 की प्रति ।
- (2) भा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 की कंडिका-4 से संबंधित पृष्ठ ।
- (3) आवश्यक सभी प्रपत्र/जॉच पत्र/अभिलेख समर्पण- विवरणी (8 पृष्ठों में) ।

विश्वासभाजन,

 20/2/17
 सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-1/सी0-1003/2017-सा0प्र0-²⁰⁷⁹...../पटना-15, दिनांक, फरवरी, 2017 प्रतिलिपि:-
 विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, विभागीय बेवसाईट के नोटिस बोर्ड तथा परिपत्र एवं अधिसूचना में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


 20/2/17
 सरकार के अवर सचिव ।

कृपया
 प्रेषण
 10.3.17

**बिहार सरकार
 पथ निर्माण विभाग**

ज्ञापांक-1/विविध-078/2009 (पार्ट-1) 2304 (S) पटना, दिनांक 10/03/17
 प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, उपभाग सहित/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र की सभी अनुलग्नक की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इच्छुक अभियंता कृपया दिनांक 05.04.2017 तक विहित प्रपत्र में उचित माध्यम से आवेदन निश्चित रूप से समर्पित करें।

सरकार के अपर सचिव
 पटना, दिनांक 10/03/17

ज्ञापांक-1/विविध-078/2009 (पार्ट-1) 2304 (S) पटना, दिनांक 10/03/17
 प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

10/2/17

650
32

अभिलेख समर्पण-विवरणिका
(नॉन-एस सी एस)

1	क्या समर्पित की जा रही अनुशासार्थ प्रशासी विभाग की चयन समिति द्वारा अनुशंसित हैं; यदि अनुशंसित हैं, तो उनकी मूल तथा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न हैं-	
2	क्या प्रासंगिक अनुशासार्थों पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है-	
3	क्या सेवा-इतिहास का विभागीय अभिलेखों से मिलान कर लिया गया है और वह संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है-	
4	क्या सेवा इतिहास में सेवा में नियुक्ति तथा सम्पुष्टि की तिथियों स्पष्ट रूप से अंकित हैं-	
5	क्या अनुशंसित पदाधिकारियों की उम्र निर्धारित सीमा (दिनांक 01.01.2016 को 56 वर्ष से कम) के अधीन है-	
6	क्या वांछित चारित्रियों /कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तिथि: अद्यतन एवं पूर्ण हैं; यदि हैं, तो उनकी मूल / अभिप्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न हैं-	
7	जिन तिथियों /अवधियों की चारित्रियों अभिलेखित नहीं हैं उनके लिए संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त कारण के प्रमाण-पत्र (मूल/अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित) संलग्न हैं-	
8	क्या विभागीय आरोप एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय में मामला लंबित नहीं रहने का संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न है-	
9	क्या प्रामाणिक सूचनार्थ सभी विहित प्रपत्रों में दर्ज हैं-	
10	क्या समर्पित अनुशासार्थों में विभागीय पत्रांक-..... दिनांक-..... की सभी शर्तें पूर्णतः अनुपालित हैं-	
11	आलोच्य समर्पण हेतु प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम और सम्पर्क विवरण अंकित किया जाय-	

तिथि-.....

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

Chek List

Sl. No.	Information/Information's to be mentioned	Remarks
1	Whether the date of birth, date of continuous appointment in the qualifying grade and date of confirmation in service of the concerned officer/officers furnished to GAD is true and verified with official records	
2	Whether the name and date of birth of officer/officers sent GAD have tallied with the seniority list and in case of any variation reasons and factual position should be mentioned in brief	
3	Whether integrity of concerned officer/officers is unquestioned	
4	Whether duly signed statement of disciplinary proceedings, criminal proceedings, adverse remarks and consolidated statement of the officer in Annexure I.1 (A & B) 4.2, 6 and 3.4-A furnished.	
5	Whether any court matter/ directions are pending against the concerned officer / officers	

Signature of the competent Authority
with Name and Designation.

(31) (28)

Bio-Data of Non SCS Officers

- 1. Name of Officer-
- 2. Date of Birth-
- 3. Educational Qualification-
- 4. Whether belongs to SC/ST/OBC-
- 5. Date of confirmation in Gazetted Posts-
- 6. Present post held-
- 7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service-

(ii) Name of the Post-

(iii) Whether holding the post substantively and the date since when-

8. Date of Gazetted Post held-

Sl. No.	Name of the posts held	Category of the posts	period	Scale of pay	Duties (Brief)
---------	------------------------	-----------------------	--------	--------------	----------------

- 9. Achievement in Brief (Including publications if any)-
- 10. Training undergone-

Signature

Name

Designation

Annexure-4.1-A

(A) Details of Disciplinary Proceeding Pending Against Eligible Officers

SI.No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature : -----
Name : -----
Designation : -----

(29/28)

Annexure-4.1-B.

(A) Details of Criminal Proceeding Pending Against Eligible Officers				
SI.No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature :

Name : -----

Designation :

6/19

28 27

Annexure-4.2

Details of Penalties Imposed on Eligible Officers During The last 10 Years

SI. NO	Name of officers/Merit List	Year in which offence is committed	Date of Issue of Charge Sheet	Date on which penalty imposed	Nature of Penalty	Period of Currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature : _____

Name : _____

Designation : _____

(29) (28)

Annexure-6.

Certificate regarding communication of Adverse Remarks in respect of eligible Officers.

1. Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

2. Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

3. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

4. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time & decision of the State Government has been taken in this regard.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

Signature :

Name : -----

Designation :

(26) (25)

